कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 447/Main.A/Admin.'D' Section Allahabad Dated: 11.01.2023 के अनुक्रम में माननीय महदोय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कासगंज हेतु कोरोला अल्टिस स्टाफ कार के लिए वाहन चालक (01 पद) की सम्बद्धता/पुनर्नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय निर्गत परिपत्र संख्या- 14/Admin. 'D' Dated: 15.10.2022 में दिये गये निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन की जानी है:-

01- जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारी, जो 65 वर्ष की आयु पूर्ण न किये हों।

02- सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति न्यायालय में मौजूद पर्याप्त रिक्तियों के सापेक्ष एक बार में एक वर्ष तक के लिए अथवा रिक्तियों के भरने तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण किये जाने तक (जो भी पहले हो) के लिए की जानी है।

03- सम्बन्धित पदों पर पुनर्नियुक्त किये जाने के उपरान्त आवेदकों को उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन में से पेंशन की राशि काटते हुए मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

04- जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति, उनके पूर्व सेवा अभिलेखों एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों पर विचार करने के उपरान्त की जाएगी।

पुनर्नियुक्ति हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त वाहन चालक/आवेदक अपना आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2023 तक प्रत्येक कार्य दिवस में सांय 05.00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय प्राप्त करा सकते हैं।

09.02.23

(गगन कुमार भारती)
अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति/
तृतीय अपर जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।

दिनांक- 09.02.2023

Scanned with CamScanner